

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान

तौफीक बनाम मो0 जबार

निर्णय दिनांक : 03/11/2025

मुकदमा नं. : 829/2024

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 03/11/2025 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर झुन्डुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम केड पटवार हल्का केड तहसील गुढा गौड़जी जिला झुन्डुनू (राज.) में भूमि खसरा नं 738/182 रकबा 0.0800 है0, खसरा संख्या 740/182 रकबा 0.6564 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7364 है0 इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 181 रकबा 0.0300 है0 खसरा संख्या 186 रकबा 0.0600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0900 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/25/2525 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।


(सुप्रिया)

सहायक कलक्टर झुन्डुनू

झुन्डुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुकमनामा		बाबत इजराय	
		हुकमनामा मुतफरिक	
योग	4	योग	


(सुप्रिया)

सहायक कलक्टर, झुन्डुनू
सहायक कलक्टर
झुन्डुनू